न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2017 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

सतीश गोयल पुत्र स्व॰ श्री बनवारी लाल जाति महाजन निवासी 35, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. प्रशान्त गोयल पुत्र सतीश कुमार गोयल
2. निशन्त गोयल पुत्र श्री सतीश कुमार गोयल
3. श्रीमती बबीता पत्नी श्री प्रशान्त गोयल

समस्त निवासी बी–35, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अधिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 21.03.2017 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दक्षिण जयपुर प्रकरण संख्या 56/2012 व उनवानी सतीश गोयल बनाम प्रशान्त गोयल

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित है ।
2. प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांक 13-8-2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र संख्या 56/2012 है। जिसमें अधिकरण ने दिनांक 20.11.2012 को आदेश पारित किया कि प्रार्थी को 2000–2000 रूपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में अदा करेंगे तथा ससम्मान रखेंगे, किसी प्रकार का लडाई झगडा, मारपीट आदि नही करेंगे। प्रार्थी की सेवा सुश्रषा करेंगें । उक्त आदेश के पश्चात उपरोक्त पत्रावली उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दक्षिण जयपुर के यहां अन्तरित हो गई। जहां पर प्रार्थी अपीलार्थी के बीमार होने तथा मंहगाई बढ जाने के कारण अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत बढाये जाने भरण पोषण राशि दिनांक 17.10.2016 को प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। जिसका प्रत्यर्थीगण ने झूंठे तथ्यों के आधार पर जबाब प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दिनांक 21.03.2017 को आदेश पारित किया। " बहस सुनई गई सम्पूर्ण तथ्यो पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा 2000–2000 रूपये प्रति माह प्रार्थी को भुगतान किया जा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

रहा है प्रार्थी द्वारा बीमार एवं ईलाज हेतु ज्यादा धन की आवश्यकता होने का कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा स्वयं की बीमारी एवं ईलाज हेतु राशि की व्यवस्था ट्यूशन करके ही किया जाना अवगत कराया जो सही प्रतीत होता है। अप्रार्थी का निरन्तर ईलाज चलने व आजीविका हेतु अप्रार्थी संख्या 3 पर निर्भरता का बहस में कथन सही प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के लाल कोठी एवं बहरोड की सम्पति से भी किराया प्राप्त होने का कथन किया गया है जिसका खण्डन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया अत : उक्त कथन सही प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वार कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 पेशे से अधिवक्ता है जो जूनियर वकील के रूप में कार्य कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार 2000 रूपये की भरण पोषण राशि प्रार्थी को अदा की जाती रही है और अप्रार्थी की स्थिति ऐसी नही है कि वह उक्त भरण पाषण राशि को बढा कर प्रार्थी को अदा कर सके। साथ ही प्रार्थी के द्वारा भरी गई आयकर विवरिणका की प्रति पेश की गई जिसमे उल्लेखित आय से जाहिर होता है कि प्रार्थी की आय का अन्य स्त्रोत भी है जिससे प्रार्थी का ईलाज उचित ढंग से हो सकता है। अतः भरण पोषण राशि बढाने संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न तो उचित है और ना ही न्याय संगत है। अतः भरण पोषण राशि बढाने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।" उक्त आदेश से व्यथित हो कर यह अपील पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस प्रत्यर्थीगण को जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया । प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुये । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक 06.08.2019 को प्रत्यर्थीगण उपस्थित नही है।

3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलार्थी के पास आय का अन्य स्त्रोत है, जिसके बावजूद भी गलत तरीके से आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा आयकर विवरणिका तथ्य बताये गये, जबकि अपीलार्थी द्वारा सन् 2010 के बाद किसी तरह की कोई आयकर विवरणिका नहीं भरी गई, ना ही अपीलार्थी के पास आय का कोई साधन है। बल्कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मिली भगत करके अपीलार्थी की अचल सम्पत्ति को भी हडप लिया है और अब जानबूझ कर अपीलार्थी की देख रेख नही कर रहे है ना ही समुचित ईलाज करा रहे है। जो कि प्रत्यर्थीगण का परम कर्तव्य है। इसके बावजूद भी उक्त आदेश माननीय अधिकरण द्वारा पारित किया गया जो निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की भरण पोषण राशि बढाया जाना अति आवश्यक है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के तथ्यों पर गौर न करके अवलोकन न करके आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी को वास्तव में ईलाज की आवश्यकता है, जिसके लिए अपीलार्थी ने मेडीकल बिल, जांच आदि के दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। जिसके बावजूद भी अपीलार्थी की भरण पोषण राशि नही बढाई गई। प्रत्यर्थीगण आज भी जान बूझ कर अपीलार्थी के साथ गाली गलोच करते है तथा मारपीट करते है। खाना भी नही देते है तथा किसी प्रकार का कोई ईलाज भी नही करा रहे है, ना ही भरण पोषण राशि बढा रहे है । जबकि कि अपीलार्थी के लिए भरण पोषण राशि बढाया जाना अति आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जा कर भरण पोषण राशि बढाये जाने के आदेश फरमावें ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

5. अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने भरण पोषण राशि बढाने की मांग की है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा 2000--2000 रूपये प्रति माह बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये भरण पोषण की राशि कम प्रतीत होती है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है ।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को 2000--2000 रूपये के बजाय 5000--5000 रूपये प्रति माह दिनांक 01.09.2019 से अपीलार्थी को बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी वृद्व है, इसलिए अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार का लडाई झगडा एवं गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इसकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्ष को निः शुल्क उपलब्ध कराई जावे। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी चाकसू को आदेश की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर